न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :– उमा मित्तल आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :– 33 / 2024

रोशनलाल कुम्हार पुत्र बीरूराम जाति कुम्हार साकिन खोथांवाली हाल आबाद तिलक नगर उदासर फांटा के पास बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

प्रार्थी

बनाम

1. बीरूराम पुत्र मनीराम जाति कुम्हार साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. मंगलाराम पुत्र बीरूराम जाति कुम्हार साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. खेतराम पुत्र बीरूराम जाति कुम्हार साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया –– प्रार्थी
2. राज पैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा ––अप्रार्थी संख्या 4
3. अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही जारी है।

–:: निर्णय :–

दिनांक:– 20/8/25

अधिवक्ता प्रार्थी श्री हीरालाल बिरथलिया द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसमें अंकित किया है कि यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय मे पेश हो चुका है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण संभावना है । प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:51:37 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिकी एवं सहअंशदायी है। इस हिन्दु संयुक्त परिवार के

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कर्ता प्रार्थी के दादा श्री मनीराम थे। जहां तक वाद पत्र का संबंध है शजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है।

यह कि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 के नाम से एकल खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 29 एमओडी–बी के खाता सं. 110 के प.नं. 21/255 के किला 2/5, 2/6, 3/1, 3/2, 4/5, 4/6, 7/2, 8, 9/2, 12/2, 13, 14/2, 17/2, 18, 19/2, 22/2, 23, 24/2 कुल तादादी 2.108 हैक. नहरी म.गै.मु. कृषि भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि पूर्व मे प्रार्थी के दादा श्री मनीराम पुत्र बस्तीराम के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख थी जिनके देहान्त के पश्चात वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं.1 को विरासतन ओद हुई। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थी का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित हो चुका है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 की वर्तमान मे लगभग 80 वर्ष से अधिक की उम्र है जिन्हें कानों से कम सुनाई देता है तथा आखों से कम दिखाई देता है व मानसिक व शारिरीक स्थिति भी अत्याधिक क्षीण हो चुकी है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि का पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों ने आपसी बंटवारा करवाया और मुताबिक घरू बंटवारा व राजीनामा अनुसार अप्रार्थी सं. 1 वृद्ध होने एवं अक्सर बीमार रहने के कारण से वादग्रस्त कृषि भूमि मे अप्रार्थी सं. 1 के प्रत्येक वारिस का 1/3–1/3 हिस्सा का हक व हिस्सा मानते हुए कृषि भूमि का कब्जा प्रत्येक वारिस यानि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2–3 को सुपुर्द किया गया और अप्रार्थी सं. 1 के भरण पोषण एवं जीवन यापन हेतू प्रत्येक सदस्य ने 5,000/– अखरे पांच हजार रूपये वार्षिकी प्रत्येक वर्ष की बैसाखी पर देना तय किया गयां लेकिन वर्तमान राजस्व अभिलेख मे वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज होने से प्रार्थी की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि मे से 1/3 हिस्सा की घोषणा करवाने का अधिकारी है जो कि घोषित किया जाकर वाद प्रार्थीगण डिक्री किया जावे।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा पर काबिज काश्त है लेकिन प्रार्थी का अप्रार्थी सं. 2–3 के साथ सींव बट व रकम राज को लेकर तनाजा बना रहता है इसलिए प्रार्थी अपने 1/3 हिस्सा की कृषि भूमि का अप्रार्थी सं. 2–3 से अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:51:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि मे से प्रार्थी मुताबिक घरू बंटवारा एवं राजीनामा अनुसार 1/3 हिस्सा पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है और वर्तमान मे भी प्रार्थी ने अपने हक व हिस्सा अनुसार फसल कश्त की हुई है। अप्रार्थी सं. 2–3 एक राय है और अप्रार्थी सं. 1 के वृद्ध एवं बीमार होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी के हक व हिस्सा को हर प्रकार से खुर्द बुर्द करने की फिराक मे है। यदि अप्रार्थीगण अपने इन मनसुबो मे कामयाब हो जातें है तो प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमय क्षति होगी इसलिए उक्त तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी की जानी नितांत आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की जारी की जावे कि ता निस्तारण वाद अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित चक 29 एमओडी–बी के खाता सं. 110 के प.नं. 21/255 इि. 2/5, 2/6, 3/1, 3/2, 4/5, 4/6, 7/2, 8, 9/2, 12/2, 13, 14/2, 17/2, 18, 19/2, 22/2, 23, 24/2 कुल तादादी 2.108 हैक. कृषि भूमि के मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा रकबा को किसी प्रकार से रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल नही करे तथा प्रार्थी के अधिकारो के विरूद्ध कोई दस्तावेज तहरीर व तस्दीक करवाने से ममनू व बाज रहे।

–::आदेश::–

बहस अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृश्टांतो का अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी इस लिए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रश्नगत रकबा में हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में वाद पत्र जैरकार है जिसमें गणोवगुण के आधार पर निर्णय किया जाना है। स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनर्फम किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 27.03.2024 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक [illegible]/9/25...... सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:51:37 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा